मध्य प्रदेश मेडिकल कौंसिल, भोपाल

एफ–7 सांची कॉम्पलेक्स बोर्ड ऑफिस के सामने भोपाल म.प्र. 462016
दूरभाष: 07552767786 ई–मेल: registrarmpmc@gmail.com

क्रं. एमपीएमसी / प्रोविजनल (म.प्र.) / 2020 / 548 भोपाल दिनांक 25/01/2020

/ / परिपत्र / /

विषयः मध्य प्रदेश के चिकित्सा महाविद्यालय से एम.बी.बी.एस. कोर्स पश्चात् प्रोविजनल पंजीयन ।

संदर्भः लोक सेवा प्रबंधन विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 2–13 / 2012 / 61 / लोसेप्र / पी.एस.जी. –25 दिनांक 24.01.2017 में शामिल **सेवा क्रमांक 25.1** के संबंध में निर्देश।

म.प्र. मेडिकल कौंसिल के पूर्व परिपत्र क्रमांक परिपत्र क्रमांक एमपीएमसी / उप.पंजी. / प्रोविजनल (म.प्र.) / 2018 / 3703–3727 दिनांक 03.06.2019 को अधिक्रमित करते हुए निम्नानुसार निर्देश जारी किये जाते हैं :–

1. **सेवा का उद्देश्यः–**

   मेडिकल कौंसिल ऑफ इंडिया नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त एम.बी.बी.एस. कोर्स मध्य प्रदेश के चिकित्सा महाविद्यालय से करने के उपरांत भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद अधिनियम, 1956 की धारा 25 के प्रावधान अनुसार चिकित्सा छात्र द्वारा मेडिकल कौंसिल ऑफ इंडिया नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त म.प्र. राज्य के मेडिकल कॉलेज / हॉस्पिटल से इन्टर्नशीप करने के उद्देश्य से 1 वर्ष हेतु अथवा इंटर्नशीप की अवधि पूर्ण होने तक प्रोविजनल पंजीयन करना ।

2. **पदाभिहित अधिकारी एवं समय सीमाः–**

   रजिस्ट्रार, म. प्र. मेडिकल कौंसिल, भोपाल, 30 कार्य दिवस

3. **आवेदन पत्र एवं प्रारूप :–**

   आवेदन एम. पी. ऑनलाइन पोर्टल अथवा लोक सेवा केन्द्र / कियोस्क के माध्यम से ऑनलाइन ही किया जायेगा ।

4. **पात्रता की आवश्यक शर्ते :–**

   4.1 आवेदक द्वारा मेडिकल कौंसिल आफ इंडिया नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त एम.बी.बी.एस. कोर्स मध्य प्रदेश के किसी चिकित्सा महाविद्यालय से उत्तीर्ण किया गया हो तथा

   4.2 आवेदक निर्धारित ईन्टर्नशीप हेतु चयनित कर लिया गया हो।

   4.3 ईन्टर्नशीप पूर्ण करने के उपरांत प्रोविजनल पंजीयन हेतु आवेदन मान्य नहीं होगा ।

5. **आवश्यक दस्तावेज :–**

   5.1 जन्मतिथि के सत्यापन हेतु कक्षा 10वीं की अंकसूची,
   5.2 कक्षा 12वीं की अंकसूची,
   5.3 एम.बी.बी.एस. फायनल पार्ट–1 परीक्षा उत्तीर्ण की समस्त अंकसूचियां ,
   5.4 एम.बी.बी.एस. फायनल पार्ट–2 परीक्षा उत्तीर्ण की समस्त अंकसूचियां,
   5.5 संबंधित अधिष्ठाता द्वारा ईन्टर्नशीप हेतु चयनित किए जाने के संबंध में जारी इंटर्नशीप अंडरगोइंग प्रमाण पत्र,
   5.6 अन्य अभिलेख, यदि आवश्यक हो ।
   5.7 आवेदक का स्वयं का फोटोग्राफ एवं हस्ताक्षर (दोनो एक साथ) की स्केन कॉपी । (Appendix '**A**')

6. आवेदक को एम. पी. ऑनलाईन पोर्टल से आवेदन प्रस्तुत करने हेतु निम्नानुसार कार्यवाही की जाना होगी–

6.1 आवेदक को अपना आवेदन ऑनलाईन (https://mpmc.mponline.gov.in/) प्रस्तुत करना होगा ।

6.2 यूजर प्रोफाईल बनाने हेतु आवेदक https://mpmc.mponline.gov.in/ में User Profile Creation पर क्लिक कर अपना यूजर प्रोफाइल बनाएं। जिनके द्वारा यूजर प्रोफाइल पूर्व में ही बना ली है उन्हें दुबारा यूजर प्रोफाइल बनाने की आवश्यकता नहीं है। User Profile आवेदक के आधार नंबर के माध्यम से OTP/ Biometric से पुष्टि होकर बनेगा ।

6.3 यूजर प्रोफाइल/आवेदन प्रस्तुत करने/डॉक्यूमेन्ट अपलोड करने/ऑनलाईन भुगतान करने में कोई तकनीकी समस्या के निराकरण हेतु एम0 पी0 ऑनलाईन लिमिटेड के कस्टमर केयर के दूरभाष क्रमांक 0755–6720200 पर सम्पर्क करें अथवा एम. पी. ऑनलाइन की शिकायत लिंक http://mponline.gov.in/portal/ → Grievances पर भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

6.4 यूजर प्रोफाइल में आवेदक को अपना फोटो एवं हस्ताक्षर एक साथ स्केन कर निर्धारित फॉर्मेट Appendix '**A**' अनुसार अपलोड करना होगा (प्रारूप अनुसार फोटो के स्थान पर फोटो चस्पा कर उसके नीचे दिये गये हस्ताक्षर के स्थान पर हस्ताक्षर कर एक साथ स्कैन करें)। एक बार आवेदन पत्र जमा होने के बाद फोटो एवं हस्ताक्षर में कोई परिवर्तन/संशोधन नहीं होगा। ऐसे आवेदन को निरस्त कर दिया जावेगा।

6.5 यूजर प्रोफाइल में आवेदक को अपना मोबाइल नम्बर एवं ई–मेल आईडी सही–सही दर्ज करना होगा। यूजर प्रोफाइल में दर्ज मोबाइल नम्बर ही आवेदक का यूजर आईडी रहेगा।

6.6 आवेदक को रजिस्ट्रेशन हेतु आवेदन पत्र उसके यूजर प्रोफाइल में मिलेगा।

6.7 आवेदक, आवेदन पत्र में पूर्व से दर्ज विवरण का मिलान कर लें। कोई त्रुटि होने पर मध्यप्रदेश मेडिकल कौंसिल की ई–मेल आईडी अथवा कार्यालय में सीधे पत्र भेजकर उक्त त्रुटि सुधार हेतु आवेदन प्रस्तुत करें।

6.8 आधार में पंजीकृत नाम ही आवेदन/सर्टिफिकेट में अंकित होगा। यदि दोनों में कोई असमानता है तो आवेदन प्रस्तुत करने के पूर्व अपने अभिलेख सही करवा लें । आवेदन में अपने नाम की स्पेलिंग उनके द्वारा धारित अंकसूची/प्रमाण पत्र के अनुरूप ही लिखें। आवेदक द्वारा अपना नाम, मोबाईल नम्बर एवं ई–मेल एड्रेस सही–सही भरा जावे। एक बार आवेदन पत्र जमा होने के बाद नाम, मोबाईल नम्बर एवं ईमेल में कोई परिवर्तन/संशोधन नहीं होगा। ऐसे आवेदन को निरस्त कर दिया जावेगा।

6.9 आवेदन में अपने नाम की स्पेलिंग उनके द्वारा धारित अंकसूची/प्रमाण पत्र के अनुरूप ही लिखें । आवेदक द्वारा अपना नाम, मोबाईल नम्बर एवं ई–मेल एड्रेस सही–सही भरा जावे। एक बार आवेदन पत्र जमा होने के बाद नाम, मोबाईल नम्बर एवं ईमेल में कोई परिवर्तन/संशोधन नहीं होगा । ऐसे आवेदन को निरस्त कर दिया जावेगा।

6.10 आवेदक अपने User Profile के माध्यम से प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन हेतु आवेदन प्रस्तुत करना होगा। आवेदक अपनी इन्टर्नशीप पूर्ण होने के पूर्व आवेदन प्रस्तुत करें जिससे इन्टर्नशीप पूर्ण होने के पूर्व प्रोविजनल पंजीयन जारी किया जा सके । इन्टर्नशीप पूर्ण होने के उपरांत आवेदन स्वीकार नहीं होंगे । ऐसे आवेदन को निरस्त कर दिया जावेगा। ऐसी स्थिति में आवेदक को दो माह की इन्टर्नशीप पुनः ज्वाइन कर प्रोविजनल पंजीयन हेतु आवेदन प्रस्तुत करना होगा ।

6.11 आवेदक को अपना आवेदन प्रस्तुत करते समय इस बात से संतुष्ट हो जाना चाहिए कि वह अपना आवेदन एवं अभिलेख, आवदेन प्रस्तुत करने की तिथि से 7 कार्यदिवस में संबंधित अधिष्ठाता चिकित्सा महाविद्यालय से अग्रेषित करवा लेगा अन्यथा की स्थिति में आवेदन पत्र स्वतः ही निरस्त हो जावेगा तथा आवेदन पुनः प्रस्तुत करना होगा ।

6.12 सत्यापन एवं मुहर लगाने हेतु बिना लेमिनेशन के मूल दस्तावेज प्रस्तुत करना अनिवार्य है ।

6.13 लोक सेवा केन्द्र / कियोस्क पर आवेदन की ऑनलाईन पावती (Receipt) जमा होते ही आवेदन संबंधित कॉलेज (जिस कालेज से विद्‌यार्थी ने कोर्स किया है) के जी2जी पर प्राप्त होगा । जहां से 7 कार्यदिवस की समयसीमा में आवेदन का परीक्षण / सत्यापन होने के उपरांत पदाभिहित अधिकारी (रजिस्ट्रार, म. प्र. मेडिकल कौंसिल) के जी2जी में ऑनलाईन उपलब्ध होगा ।

6.14 आवेदक द्वारा आवेदन प्रस्तुत करने के उपरांत संबंधित कॉलेज द्वारा आवेदन को Sent Back/Verified/Not Verified किया जावेगा ।

6.15 आवेदन ऑनलाईन प्रस्तुत किया जाना एवं कंडिका –5 में बताये अनुसार आवश्यक दस्तावेज को स्केन कर आवेदन के साथ अपलोड करना होगा।

6.16 आवेदक को बिंदु कमांक –9 अनुसार पंजीयन शुल्क + विलंब शुल्क (यदि लागू हो) का भुगतान भी ऑनलाईन किया जाना होगा। पंजीयन शुल्क [अप्रतिदेय (non refundable)] है।

6.17 यदि संबंधित कॉलेज द्वारा आवेदन में कोई कमी पाई जाती है तो संशोधन हेतु आवेदन आवेदक को ऑनलाइन वापस (Sent Back) किया जावेगा । ऐसी स्थिति में आवेदक को उसी दिन अपने लॉगइन पर जाकर आवेदन में संशोधन कर प्रस्तुत करना होगा।

6.18 आवेदक द्वारा आवेदन प्रस्तुत करने के उपरांत संबंधित कॉलेज द्वारा आवेदन को अनुशंसा अथवा निरस्त किया जावेगा ।

6.19 ऑनलाईन आवेदन जमा होने पर सॉफ्टवेयर से आवेदन की पावती (Receipt) तैयार होगी। पूर्ण आवेदन जमा होने की स्थिति में निराकरण की समय–सीमा सॉफ्टवेयर द्वारा तैयार पावती (Receipt) पर अंकित होगी ।

6.20 म. प्र. मेडिकल कौंसिल द्वारा जारी पंजीयन प्रमाण पत्र / आवेदन पत्र अस्वीकृत करने का सूचना पत्र आवेदक के पते पर स्पीड पोस्ट से भेजा जावेगा ।

6.21 इन्टर्नशीप पूर्ण होने के उपरांत चिकित्सा छात्र का प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन हेतु आवेदन स्वीकार नहीं किया जावेगा। ऐसी स्थिति में आवेदक को कम से कम 2 माह की इंटर्नशीप पुनः की जाना होगी । उक्त इंटर्नशीप प्रारंभ करते ही आवेदक को प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन हेतु आवेदन प्रस्तुत करना होगा ।

7. संबंधित अधिष्ठाता चिकित्सा महाविद्यालय द्वारा निम्नानुसार कार्यवाही की जायेगी –

7.1 लोक सेवा केन्द्र / कियोस्क पर आवेदन की ऑनलाईन पावती (Receipt) जमा होते ही आवेदन संबंधित कॉलेज (जिस कालेज से विद्‌यार्थी ने कोर्स किया है) के जी2जी पर प्राप्त होगा ।

7.2 संबंधित अधिष्ठाता चिकित्सा महाविद्यालय उक्त आवेदन का परीक्षण कर आवेदन प्रस्तुत करने की तिथी से 7 कार्यदिवस में सहमति की दशा में अनुशंसा तथा असहमति की दशा में आवेदन निरस्त करने की कार्यवाही की जावेगी ।

7.3 यदि प्रस्तुत आवेदन में कोई कमी पाई जाती है तो संशोधन हेतु आवेदन आवेदक को ऑनलाइन वापस (Sent Back) किया जावेगा ।

7.4 आवेदक द्वारा उक्त आवेदन को संशोधन कर प्रस्तुत करने के उपरांत संबंधित कॉलेज द्वारा निर्धारित कार्यदिवस की समयावधि में ही आवेदन को अनुशंसा अथवा निरस्त किया जावेगा।

7.5 कॉलेज द्वारा आवेदन का परीक्षण/सत्यापन होने के उपरांत पदाभिहित अधिकारी (रजिस्ट्रार, म. प्र. मेडिकल कौंसिल) के जी2जी में ऑनलाईन उपलब्ध होने पर परिपत्र की कण्डिका–8 में बताई गई प्रक्रिया अनुसार उसके निराकरण की कार्यवाही पदाभिहित अधिकारी द्वारा की जाकर समय–सीमा में आवेदन का निराकरण किया जावेगा ।

8. संबंधित अधिष्ठाता चिकित्सा महाविद्यालय से आवेदन प्राप्त होने पर पदाभिहित अधिकारी रजिस्ट्रार, म.प्र. मेडिकल कौंसिल द्वारा निम्नानुसार कार्यवाही की जायेगी –

8.1 संबंधित पदाभिहित अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन कर निर्धारित समय–सीमा में आवेदन का निराकरण किया जावेगा ।

8.2 आवेदन एवं दस्तावेजों के परीक्षण उपरांत यदि आवेदन पंजीयन के लिए पात्र नहीं पाया जाता है तो ऐसे आवेदन को स्पष्ट कारण दर्शाते हुए निरस्त करने का आदेश पदाभिहित अधिकारी द्वारा पारित किया जावेगा ।

8.3 आवेदन एवं दस्तावेजों के परीक्षण उपरांत पंजीयन के लिए पात्र पाए जाने पर आवेदन स्वीकृत कर पंजीयन क्रमांक जनरेट किया जावेगा।

8.4 म. प्र. मेडिकल कौंसिल द्वारा जारी पंजीयन प्रमाण पत्र / आवेदन पत्र अस्वीकृत करने का सूचना पत्र आवेदक के पते पर स्पीड पोस्ट से भेजा जावेगा ।

8.5 इस तरह जारी होने वाली समस्त पंजीयन /सूचनाओं की एक डिजीटल रिपोजटरी वेबसाईट / पोर्टल पर संधारित की जायेगी ।

9. शुल्क –

9.1 मध्य प्रदेश राज्य के चिकित्सा महाविद्यालय से उत्तीर्ण चिकित्सा छात्रों हेतु प्रोविजनल पंजीयन शुल्क [अप्रतिदेय (non refundable)] निम्नानुसार है :–

(i) पंजीयन शुल्क	रू. 2500=00
(ii) विलंब शुल्क –	
• परीक्षा माह से 3 माह तक	निरंक
• परीक्षा माह के 3 से 6 माह के भीतर	रू. 2000=00
• परीक्षा माह के 6 से 12 माह के भीतर	रू. 5000=00
• परीक्षा माह से 12 माह के ऊपर	रू. 10000=00

9.2 उपरोक्त के अतिरिक्त आवेदक को एम. पी. ऑन लाइन द्वारा निर्धारित पोर्टल शुल्क का भुगतान करना होगा ।

10. अपील –

मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2010 की धारा 6 के अनुसार कोई व्यक्ति जिसका आवेदन नामंजूर कर दिया जाता है अथवा उसे निश्चित समय सीमा में सेवा प्रदान नहीं कराई जाती है, आवेदन नामंजूर होने की तारीख से अथवा निश्चित समय सीमा के अवसान होने से तीस दिन के भीतर प्रथम अपील अधिकारी को निम्नानुसार अपील कर सकेगा :–

सेवा क्र.	सेवा	प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम	प्रथम अपील के निराकरण की निश्चित की गई समय–सीमा	द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम
25.1	मध्य प्रदेश के चिकित्सा महाविद्यालय से मान्यता प्राप्त एम.बी.बी.एस. कोर्स पश्चात् प्रोविजनल पंजीयन	आयुक्त चिकित्सा शिक्षा म. प्र. एवं पदेन अध्यक्ष म. प्र. मेडिकल कौंसिल	30 कार्य दिवस	प्रमुख सचिव / सचिव चिकित्सा शिक्षा

रजिस्ट्रार
मध्य प्रदेश मेडिकल कौंसिल भोपाल

पृ0 क्रं. एमपीएमसी/ प्रोविजनल (म.प्र.)/ 2020/549-59 भोपाल दिनांक 25/01/2020

प्रतिलिपि सूचनार्थः–

1. प्रमुख सचिव, म. प्र. शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग, म. प्र. ।
2. आयुक्त चिकित्सा शिक्षा, सतपुड़ा भवन भोपाल म. प्र.।
3. आयुक्त स्वास्थ्य, संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं म. प्र. ।
4. कार्यपालन संचालक, राज्य लोक सेवा अभिकरण एवं सुशासन भवन द्वितीय तल, भदभदा रोड़, टी. टी. नगर, भोपाल ।
5. संचालक चिकित्सा शिक्षा म. प्र. ।
6. रजिस्ट्रार, म. प्र. आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय जबलपुर ।
7. अधिष्ठाता, समस्त चिकित्सा महाविद्यालय मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित करने हेतु।
8. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, एम पी ऑनलाईन लिमिटेड, ब्लाक–ओ.बी., 14–17, चतुर्थ मंजिल, डी बी सिटी कॉर्पोरेट पार्क, अरेरा हिल्स, एम. पी. नगर जोन–1 के सामने, भोपाल।
9. श्री आयुष तिवारी, बिजनेस एनालिस्ट, एमपीऑनलाईन भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
10. उप पंजीयक म. प्र. मेडिकल कौंसिल, भोपाल ।
11. समस्त कर्मचारी, स्थानीय कार्यालय म. प्र. ।

रजिस्ट्रार
मध्य प्रदेश मेडिकल कौंसिल भोपाल

Appendix 'A'

Colour Photo
Signature